प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग,
द्वितीय तल किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषयः- उ0प्र0 विद्वुत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को राजकोष में समर्पित अंकित करते हुए उसे ग्राण्ट के रूप में आवंटित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-234/नि0नि0प्र0/ऊर्जा, दिनांक 27.11.2000 जिसके अनुसार उ0प्र0 विद्वुत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को 31 मार्च, तक राजकोष में समर्पित करते हुए समतुल्य धनराशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाना है, के संदर्भ में श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 विद्वुत नियामक आयोग के पत्र संख्या-यू0पी0ई0आर0सी0/लेखा/बजट/17-2281, दिनांक 15 मार्च, 2017 द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि के एवज में उ0प्र0 विद्वुत नियामक आयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के मूल आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 11,30,86,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ तीस लाख छियासी हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उ0प्र0 विद्वुत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2017 तक कुल रूपये 36,59,11,377/- (रूपये छत्तीस करोड़ उनसठ लाख ग्यारह हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र) की धनराशि वसूल की गयी है। उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 11,30,86,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ तीस लाख छियासी हजार मात्र) धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोग द्वारा एकत्र की गयी अवशेष धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित की जायेगी।

3- उपरोक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में से 1,32,81,000/- (रूपये एक करोड़ बत्तीस लाख इक्यासी हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार- विद्वुत शुल्क-04-उ0प्र0 इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गठन हेतु एक मुस्त व्यवस्था-आयोजनेत्तर-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जोयगा तथा शेष धनराशि रूपये 9,98,05,000/- (रूपये नौ करोड़ अट्ठान्नबें लाख पॉच हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार- विद्वुत शुल्क-04-उ0प्र0

http://shasanadesh.up.nic.in

इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गठन हेतु एक मुस्त व्यवस्था-आयोजनेत्तर-20- सहायक अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- उपरोक्त धनराशि का आहरण नगद नहीं किया जायेगा, वरन पुस्तक समायोजन द्वारा समतुल्य धनराशि प्राप्ति लेखाशीर्षक "0043-विद्वुत कर तथा शुल्क-800-अन्य प्राप्तियॉ-01-विद्वुत नियामक आयोग से प्राप्त फीस एवं फाइन्स आदि" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-60/दस-2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 24 /2017/399(1)/24-1-17, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in